D. PI (III) IInd Paper

Dr. Punam Kumari
Dept of Pol. Sc.
S.N.S.R.K.S. College
Saharsa

Powers and functions of the President of U.S.A

(अमेरीकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य)

अमेरीकी संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। वे अपने परस्पर विरोधी अनुभवों के आधार पर एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो, लेकिन तानाशाह जैसी स्थिति प्राप्त न कर ले। अमेरीकी राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा ऐसे ही पद की व्यवस्था की गई। फरग्यूसन और मेकहेनरी के शब्दों में कहा जा सकता है कि "किसी भी प्रजातान्त्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित यह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है।"

राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:—
(1) कार्यपालिका शक्तियाँ (2) विधायीनी शक्तियाँ (3) न्यायिकशक्तियाँ (4) राष्ट्र के नेता के रूप में।

(1) **कार्यपालिका शक्तियाँ**:- संविधान की धारा 2, खंड, 1 द्वारा अमेरिका की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में समाहित कर दी गयी है। ऑग और रे के शब्दों में, "राष्ट्रपति प्रमुख विधि निर्माता, दलीय नेता, राष्ट्रीय हितों का सामान्य संरक्षण या अन्य चाहे जो भी हो, वह सर्वप्रथम एक कार्यपालिका ही है।"

कार्यपालिका क्षेत्र में उसके कार्य निम्न हैं,

(1) **कानून को लागू करना तथा व्यवस्था बनाये रखना**:- अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

कानून लागू करने में राष्ट्रपति को अटार्नी जनरल, ~~सा~~ सारे संघीय कर्मचारियों, न्याय विभाग, सेना और राष्ट्रीय रक्षक दलों से पूर्ण ~~स~~ सहायता मिलती है।
सम्पूर्ण U.S.A में व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व भी राष्ट्रपति का है।

(ii) <u>प्रशासन का संचालन</u>:— कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ-साथ राष्ट्रपति प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक है। संघीय सरकार के समस्त प्रशासन-सम्बन्धी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही संचालित होते हैं। शासन संचालन के लिए राष्ट्रपति को कार्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी करने का अधिकार है।

(iii) <u>नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति</u>:— राष्ट्रपति की शक्तियों में नियुक्ति सम्बन्धी शक्ति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को दो भागों में बाँटा गया है:—

(i) वे उच्चपद जिनपर राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श और उसके बहुमत की सहमति से नियुक्तियाँ कर सकता है और

(ii) वे निम्नपद जिनपर काँग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं ~~अथवा~~ अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियाँ कर सकते हैं।

संविधान के अनुसार देशद्रोह, भ्रष्टाचार, या अन्य गंभीर अपराधों के लिए पदाधिकारियों को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, परन्तु यह प्रक्रिया कठिन है।

(iv) <u>क्षमादान का अधिकार</u>:— U.S.A के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भाँति अपराधियों को ~~क्ष~~ क्षमादान करने, या कम ~~करने~~ करने का अधिकार प्राप्त है।

(iv) परराष्ट्र सम्बन्धों का संचालन :— कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति परराष्ट्र नीति निर्धारित करता है। वह राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। अमरीकी विदेश नीति का प्रवक्ता होता है तथा विदेशी राज्यों से सन्धियाँ आदि करता है परन्तु इसमें सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है।

(v) विदेशों में अमरीकी नागरिकों की संरक्षण :— राष्ट्रपति का यह भी कर्तव्य है कि विदेश यात्रा करनेवाले और प्रवासी अमरीकी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करे। वैदेशिक सम्बन्धों का अन्तिम निपटारा राष्ट्रपति के ही हाथों में होता है।

(vi) सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापतित्व :— संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है इस नाते सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। किन्तु युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस को है।

(2) विधायी शक्तियाँ :— विधायी शक्तियाँ भी प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को दी गयी है। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्न है —

(i) कांग्रेस को संदेश भेजना :— संविधान के अनुसार समय-समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा, जिन्हें वह आवश्यक और लाभकारी समझे।"

(ii) कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमन्त्रित करना :— संविधान के अनुसार महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने पर कांग्रेस के चलते हुए अधिवेशन को आगे बढ़ा सकता है। अधिवेशन के समाप्त होते ही विशेष अधिवेशन आहूत होगा।

(iii) विशेषाधिकार :— राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्व पूर्ण ~~शक्ति~~ विशेषाधिकार की शक्ति है। इस अधिकार के दो रूप है:—

(a) विलम्बकारी निषेधाधिकार :— राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, अपने आपत्तियों के साथ उसे उस सदन को लौटा देता है। पुनः दोनो सदनों द्वारा पारित होने पर विधेयक कानून बन जाता है।

(b) जेबी निषेधाधिकार :— कांग्रेस के अधिवेशन काल में किसी भी विधेयक पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा 10 दिन तक विचार किया जा सकता है।

(iv) कार्यपालिका आदेश :— राष्ट्रपति के द्वारा समाराजक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है।

(v) न्यायिक शक्तियाँ :— सीनेट की स्वीकृति से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसे पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। उसे क्षमादान का अधिकार है।

(vi) राष्ट्रपति एक दलीय नेता :— राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है, इस रूप में वह अधिक शक्तिशाली होता है।

(vii) अमरीकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता :— विल्सन ने कहा था कि "राष्ट्र आशा करता है कि राष्ट्रपति न केवल अपने दल का बल्कि समस्त शासन का प्रशासक होगा।"

लेकिन वास्तविक स्थिति बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। मुनरो लिखता है कि "युद्धकाल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ उतनी ही अधिक है, जितनी नेपोलियन या ऑलिवर क्रामवेल की थी।"

लेकिन सामान्य काल में राष्ट्रपति एक ताजशाह की भाँति नहीं वरन् एक प्रजातन्त्रात्मक राज्य के सर्वोच्च प्रधान के रूप में कार्य करता है।

— X —